

WRC

An Coimisiún um Chaidreamh san Áit Oibre
Workplace Relations Commission



आयरलड घरेल कामगार
के रोजगार के अधिकार



घरेलू कामगार क्या है?

आयरश कानून के तहत कसी कामगार को अममनू ऐसे व्यक्ति के रूप म परभाषत कया गया है, जो रोजगार के कसी अनबंधु¹ के तहत काम करता है। ऐसा अनबंधु व्यक्ति अथवा नहत, मौखक या लखत रूप म हो सकता है।

ILO घरेलू कामगार कन्वशन, 2011 (ILO Domestic Workers Convention, 2011) (संख्या 189) कसी घरेलू कामगार को ऐसे कसी भी व्यक्ति के रूप म परभाषत करता है जो कसी घर अथवा घर म या इनके लए अपने रोजगार के संबंध म घरेलू काम म लगा हुआ हो। जो व्यक्ति केवल कभी-कभी अथवा छटपटु रूप से घरेलू काम करता है तथा व्यावसायक आधार पर ऐसा काम नहं करता, उसे घरेलू कामगार नहं माना जाता।

घरेलू काम म सफाई करना, खाना पकाना, कपड़े धोना, बच्च क देखभाल करना, परिवार के बजु गर्ु अथवा बीमार सदस्य क देखभाल करना, बागवानी, एवं रखरखाव करना, ड्राइवंगं तथा घर से संबंधत कोई भी दसरे काम शामिल हो सकते ह।

¹राष्ट्रीय न्यनतम मजदूर अधनयमू 2000 (National Minimum Wage Act 2000)क धारा 2, राष्ट्रीय न्यनतम मजदूर र के प्रयोजन से रोजगार के अनु बंधं को परभाषु त करती है **कई कारण से घरेल**

कार्य र्ेत्र को शोषण के प्रत वशेष रूप से संवेदनशील माना जाता है:

कई कारणों से घरेलू कार्य क्षेत्र को शोषण के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील माना जाता है:

- इसे वदेशी कामगार द्वारा रोजगार के अवसर के ेत्र के रूप म देखा जाता है, तथा यह भाषाई, सांस्कृतक एवं वैधानक मद्दे पैदा कर सकता है।
- नजी घर म कए जाने वाले घरेल काम क अलगू-थलग प्रकृत, नयोक्ताओं पर नभरर् ता पैदा करती है।
- प्रायः घरेल कामगार से अन्य कामगार क तू लना म अधिक घंटे काम करने क अपा कृ जाती है।

- इस क्षेत्र में वेतन का दर अमूमन कम होती है।
 - इसमें रोजगार के रिकॉर्ड तथा अनबंध का अभाव हो सकता है।
- सामाजिक भागीदार के प्रतिनधय के परामशर से आयोग ने, अन्य लोग के घर में कायरर त व्यक्ति क रा करने के लिए अभ्यास संहता (2007) (Code of Practice for Protecting Persons Employed in Other People's Homes (2007)) तैयार क है िजसमें नजी घर में रोजगाररत व्यक्ति के अधिकार तय कए गए ह।

सारांश रूप में, घरेलू कामगार के रोजगार के अधिकार में नम्रलखू त शामिल ह:

- काम शुरू करने के पांच दिन के भीतर रोजगार के नबंधन एवं शत का लखत ववरण अथवा रोजगार का लखत अनबंध एवं मु ल शत का लखत ववरण प्राप्त करना
- वेतन का लखत ववरण (वेतन पत्र) प्राप्त करना
- कम से कम राष्ट्रीय न्यनतम मजदूर का भू गतान कया जाना
- वाषकर् छुट तथा सावजर् नक अवकाश का लाभ उठाना
- सप्ताह में औसतन 48 घंटे से अधिक काम न करना
- रववार को कए गए काम के लिए प्रीमयम प्राप्त करना
- ब्रेक/आराम क अवध दया जाना
- बखास्तगी से पहले न्यनतम नोटस प्राप्त करना
- सरत तथा स्वास्थकर काय र् माहौल में काम करना
- नजता का तथा नजी अवकाश गतवधयां करने का अधिकार
- राजस्व एवं सामाजिक संरण वभाग (Revenue and the Department of Social Protection) में कमचर्ार के रूप में पंजीकृत होना
- लगं, परवार अथवा नागरक वैवाहक िस्थत, आय, वकलांगता, जात, पौन रुच, ंधम र् अथवा कसी यात्री समदाय क सदस्यता के कारण भेदभाव न कया जाना

- नजी दस्तावेज (जैसे पासपोर्ट, पहचान पत्र, ड्राइवंग लाइसंस इत्याद) नयोक्ताओं के पास न रखे जाएं
- अंशकालक, नयत अवध वाले एवं एजसी के कमचर्ारय को समान अधिकार
- रोजगार म यवा ब्यिक्तय को वशेष संरणु
- मातत्व क पात्रताएं।

नयोक्ताओं द्वारा वैधानक अधिकार के उल्लंघन या तो इरादतन या वधैानक दायत्व केान के अभाव के कारण हो सकते ह। फर भी, ऐसे उल्लंघन कैसे हुए इसक परवाह कए बना, उनम ऐसे अपराध शामिल हो सकते ह िजनके कारण नयोक्ताओं के वरुद्ध मकदमाु कया जा सकता है।

कोई कमचर्ार कतना भुगतान पाने का पात्र है?

राष्ट्रय न्यनतमू मजदरू, वैधानक रूपा से प्रत घंटे क नधारत न्यूनतम दर है जो कमचर्ारय को अवश्य अदा क जानी चाहए, तथा यह कमचर्ारय क आयु एवं अनुभव के अनसारु भन्न-भन्न होती है। यह नयोक्ताओं एवं कमचर्ारय को सांवधक न्यनतमू दर से अधिक दर पर सहमत होने से प्रतबंधत नहं करती।

सकल वेतन म काम के कु ल घंट से भाग देने पर कमचर्ार को भगतानु क जाने वाल प्रत घंटे क दर नधारत होती है। सकल वेतन म भोजन और/अथवा आवास के भे, जहां कसी नयोक्ता द्वारा कसी कमचर्ार को प्रदान कए जाते ह, शामिल हो सकते ह।

मौजदाू NMW दर के लए (भोजन एवं आवास क दर सहत) [राष्ट्रय न्यनतम मजू दरू कायसु थल संबंध आयोग \(National Minimum Wage - Workplace Relations Commission\)](#) पर जाएं अथवा नीचे के कोड को स्कैन कर।



काम के घंट के संबंध म क्या नयम ह?

घरेलू कामगार के लिए अधिकतम औसत कार्य सप्ताह 48 घंटे से अधिक का नहीं हो सकता। यह किसी विशेष कार्य सप्ताह को 48 घंटे तक सीमित नहीं करता। फिर भी, जब 4 से अधिक महन का औसत नकाला जाए, तब काम के साप्ताहक घंटे 48 घंटे से अधिक बल्कुल नहीं होने चाहिए।

रववार को कए गए काम के घंट के लिए प्रीमियम देय होता है। यद इसे वेतन क दर म शामिल नहीं किया जाता, तो किसी नयोक्ता को रववार के काम के बदले नम्रलखत म से एक अथवा अधिक अवश्य देना चाहिए: कोई भा, रववार को कए गए काम के घंट के लिए वेतन वद्ध अथवा सवैतनक छुट्ट।

4½ घंटे क कार्य अवध के बाद कमचर्ार 15 मिनट के ब्रेक का तथा 6 घंटे से अधिक काम करने पर 30 मिनट के ब्रेक का पात्र होता है िजसम 15 मिनट का पहला ब्रेक शामिल हो सकता है। इन ब्रेक के लिए भगतानु नहीं करना होता, तथा ये काम के समय के भाग नहीं होते।

कसी नयोक्ता को कौन से रकॉर्ड र अवश्य रखने चाहिए?

सभी नयोक्ताओं को सभी कमचर्ारय के संबंध म वस्तत रकॉर्ड र र्क रखने जरूर ह। नयोक्ता को ये रकॉर्ड र 3 साल तक अवश्य रखने चाहिए। ऐसे रकॉर्ड को रखने म वफल रहना अपराध है तथा इसके कारण मकदमा चलाया जा सकता है :

- राजस्व आयक्त्ु (Revenue Commissioners) के यहाँ नयोक्ता क पंजीकरण सख्ं या
- कमचर्ारय के नाम, पते तथा PPS नंबर
- रोजगार के प्रारंभ/समाप्ति क तारख
- रोजगार/अनबंध के लखत नबंधन तथा मु ल शत का लखत ववरणू
- ल गई वाषकर् छुट्ट तथा सावजर् नक अवकाश के रकॉडर्
- काम के घंटे (शरू करने तथा खत्त करने के समय समेतु)
- पेराल के ब्यैरे तथा भगतान पचु
- 18 साल से कम आय के कसी भी कमचर्ार का रिजस्टर्
- प्रदान कए गए कसी भी भोजन एवं आवास के ब्यैरे

कायस् थल संबंध आयोग (Workplace Relations Commission) के कसी नरक (Inspector) द्वारा जांच के मामले म इन रकॉड क जरूरत हो सकती है।

शकायत

रोजगार के अधिकार एवं समानता के संबंध म शकायत, कायस् थल संबंध आयोग के सम क जानी चाहए। शकायत के फलस्वरूप कसी न्यायनणार्थक (Adjudicator) द्वारा सनवाई अथवा कायस् थल संबंध आयोग (WRC) के कसी नरक द्वारा नरण कया जा सकता है।

कायस् थल म स्वास्थ्य एवं सराु मामल से संबंधत शकायत, स्वास्थ्य एवं सराु प्राधकरण (Health and Safety Authority) को क जानी चाहए।

प्रायः पूछे जाने वाला प्रश्न कोई व्यक्ति कमचर्ार है या नहं, यद इस बात को लेकर अनिश्चतता हो, तो क्या होगा?

कोई व्यक्ति कमचर्ार है या नहं, यह प्रश्न अममनू रोजगार के मौजदाू काननू तथा स्थापत अनबंधु काननू के प्रावधान के संदर्भर् म तय कया जाता है। "Au Pair" जैसे पदनाम का इस्तेमाल या सहमत देने वाले प के बीच व्यवस्थाओं के अन्य ब्यौर का अथर् यह नहं है क कोई रोजगार अनबंधु मौजदू नहं है। भगतानु क एवज म कसी अन्य व्यक्ति के कसी कतवू य का पालन करने वाला व्यक्ति, कसी संवदात्मक संबंध क मौजदगीू का परजोरू रूप से सझावु देगा।

यद इस बारे म कोई प्रश्न हो क कोई व्यक्ति कमचर्ार है अथवा स्व-नयोिजत है, तो 'रोजगार क िस्थत नधारित करने के लए अभ्यास संहता' म मागदर् शनर् उपलब्ध है।

यद म अपने कमचर्ार क हर सप्ताह €150 का भगतानु करता हूँ, तो वह कतने घंटे काम कर सकता है?

कोई कमचर्ार सांवधक न्यनतमू दर पर अधिकतम कतने घंटे काम कर सकता है, इसक गणना करने तथा राष्ट्रय न्यनतमू मजदरू अधनयम (National Minimum Wage Act) का अनपालनु करते रहने के लए, सकल मजदरू तथा भोजन और/या आवास के उपयक्तु भे म कमचर्ार क समचतु राष्ट्रय न्यनतमू मजदरू दर से भाग दया जाना चाहए। काम के घंटे का रकॉर्डर् रखना नयोक्ताओं का काननीू दायत्व है।

इस तालका म उल्लिखत घंटे से अधिक कायर् कराने से राष्ट्रय न्यनतमू मजदरू अधनयम (National Minimum Wage Act) का उल्लंघन होगा। **अपनी िस्थत के बारे म कसी से बात**

करना चाहूंगा, मगर म नहं चाहता क मेरे नयोक्ता को इसका पता लगे?

कायस् थल संबंध आयोग (Workplace Relations Commission) (WRC) के नरक घरेलू कामगार क कसी भी शकायत पर गोपनीय रूप से तथा, यद जरूर हो, तो गमनामु आधार पर चचार करगे। कोई भी ऐसी कारवाई िजसम कमचर्ार को अपने नयोक्ता को अपनी पहचान बतानी होगी, केवल कमचर्ारय क सहमत से ह क जाएगी। कमचर्ार WRC से 0818 80 80 90 पर संपकर् कर सकते ह या inspection@workplacelrelations.ie पर ईमेल कर सकते ह।

अन्य उपयोगी संपं क म नम्रलखत शामिल हो सकते ह:

नागरिक का जानकारी, जिसके कार्यालय पूरे देश में है, सावजनिक सेवाओं तथा हकदारों के बारे में सचना प्रदान करता है, उससे टेलफोन से 0818 07 4000 पर (सोमवार से शक्रवार, सबहु 9 बजे से रात 8 बजे तक) अथवा www.citizensinformation.ie/en/ पर संपर्क किया जा सकता है।

ट्रेड यूनियन का आयरिश कांग्रेस (Irish Congress of Trade Unions) के पास घरेलू कामगार के लिए बेहतर अधिकार के लिए अभियान है, तथा उससे टेलफोन से 01 889 77 77 पर अथवा www.ictu.ie पर संपर्क किया जा सकता है।

आयरलैंड का प्रवासी अधिकार केंद्र (Migrant Rights Centre of Ireland) (083 0755 387 या info@mrci.ie) जैसे प्रवासी कामगार संगठन, जो सचना एवं सहायता प्रदान करने में समर्थ हो सकते हैं।

संपर्क के ब्यौरे कायस् थल सबं धं आयोग (Workplace

Relations Commission)

www.workplacerelations.ie टेलफोन:

0818 80 80 90

वदेश से कॉल करने वाले व्यक्ति (Overseas callers) को +353 59

917 8990 पर कॉल करना चाहिए

स्वास्थ्य एव ं सरा प्राधकरण ु (Health and Safety Authority)

www.hsa.ie

टेलफोन: 0818 289 389 (सोमवार से शक्रवार, सु बह ु 9 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच) ईमेल:

contactus@hsa.ie

वदेश से कॉल करने वाले व्यक्ति (Overseas callers) को +353 1 614 7000 पर कॉल करना चाहिए